वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2016-अग्रहायण 11, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम डॉ. श्यामला शिन्दे था जो कि शादी के पश्चात् परिवर्तित होकर डॉ. श्रीमंती शीला खुरपे पति स्व. डॉ. राजाराम खुरपे, 218, सैफी नगर माणिकबाग रोड, इन्दौर हो गया है. अतः भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जावे व मेरे सभी व्यवहार इसी नाम से होंगे. सो विदित होवे.

पुराना नाम :
(श्यामला शिन्दे)

नया नाम :
(शीला खुरपे)

(497-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम संजय बदरूद्दीन उर्फ सलाहउद्दीन था. अब वर्तमान में मुझे सलाहउद्दीन बदरूद्दीन के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(संजय)

नया नाम :
(सलाहउद्दीन)
निवासी-45/5 मालवा स्टील की गली,
महाकाल रोड, उज्जैन.

(498-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, शपथपूर्वक सत्य कथन कहती हूँ कि पूर्व मेरा नाम मंजू साहू था जो कि अब मैं उसे बदलकर मंजू श्रीवास्तव, म. नं. 11 रेतघाट रोड, फूल महल गली, तलैया, भोपाल मध्यप्रदेश हो गया है. अतः भविष्य में मुझे समस्त शासकीय एवं गैर शासकीय दस्तावेजों में मंजू श्रीवास्तव के नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :
(मंजू साहू)

नया नाम :
(मंजू श्रीवास्तव)

(499-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरे द्वारा घोषणा की जाती है कि विवाह के पूर्व मेरा नाम कु. विनीता आहूजा पिता श्री प्रकाश आहूजा, निवासी अर्जुन नगर, रीवा (म.प्र.) था, जो कि विवाहोपरान्त बदलकर श्रीमति सुमन चुघवानी पति श्री मनोज चुघवानी हो गया है. अतः आज से मुझे मेरे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(विनीता आहूजा)

नया नाम :

(सुमन चुघवानी)
पति श्री मनोज चुघवानी,
आचार्य कृपलानी वार्ड नं. 42, कैरिन लाईन,
बैरिक टी-16, माधवनगर, कटनी (मध्यप्रदेश).

(500-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार खुशबू शर्मा पिता श्री संजय शर्मा जी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कि उनका बचपन में घर का नाम ज्योशना शर्मा था, जिसे स्कूल में बदलकर ज्योशना शर्मा से खुशबू शर्मा कर लिया था. अतः सभी सरकारी दस्तावेजों (पिता की सेवा पुस्तिका सहित) में इन्हें खुशबू शर्मा के नाम से ही लिखा व पढ़ा जावे.

संगीता गुप्ता,
(अधिवक्ता)
426, विक्रम टॉवर सपना-संगीता रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(501-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार साँझी शर्मा पिता श्री संजय शर्मा जी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कि उनका बचपन में घर का नाम फागुनी शर्मा था, जिसे स्कूल में बदलकर फागुनी शर्मा से साँझी शर्मा कर लिया था. अतः सभी सरकारी दस्तावेजों (पिता की सेवा पुस्तिका सहित) में इन्हें साँझी शर्मा के नाम से ही लिखा व पढ़ा जावे.

संगीता गुप्ता,
(अधिवक्ता)
426, विक्रम टॉवर सपना-संगीता रोड,
इन्दौर (म.प्र.).

(502-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमति सीमा अमित तिवारी पति श्री अमित तिवारी, उम्र 31 वर्ष, निवासी म. नं. 34/8, संजीवनी नगर, कालिन मेमोरियल स्कूल के सामने, गढ़ा, जबलपुर कि विवाह के पहले मेरा नाम सीमा बाजपेई पिता स्व. श्री जगदीश प्रसाद बाजपेई था, जो कि विवाह पश्चात् परिवर्तित होकर श्रीमति सीमा अमित तिवारी हो गया है. अतः अब या आयद भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों में एवं सभी सरकारी रिकार्ड में मुझे श्रीमति सीमा अमित तिवारी पति श्री अमित तिवारी के नाम से पढ़ा व जाना जावे.

पुराना नाम :

(सीमा बाजपेई)

नया नाम :

(सीमा अमित तिवारी)
पति श्री अमित तिवारी,

(503-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण सूचित करने में आता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम नेहा धनवानी पिता श्री मनोहरलाल धनवानी था, अब विवाह के पश्चात् मेरा नाम बदलकर श्रीमती मीत गिदवानी पति श्री अंकित गिदवानी, पता-15-बी, गुरूनानक कॉलोनी, लालबाग, इन्दौर के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी. सो विदित होवें.

पुराना नाम :

(नेहा धनवानी)
(पिता श्री मनोहर धनवानी)

नया नाम :

(मीत गिदवानी)
पति श्री अंकित गिदवानी.

(504-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, विरेन्दर सिंह रैत, निवासी जे-10, पंचशील नगर, नर्मदा रोड, जबलपुर, पिनकोड 482001 तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर में वाहन चालक के पद पर कार्यरत हूँ. मेरा पूरा नाम स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार विरेन्दर सिंह रैत (RAIT) है, जो कि मेरे सर्विस दस्तावेज में सरनेम (रैत) अंकित नहीं है. अतः भविष्य में मेरे नाम के साथ सरनेम (रैत) भी जोड़ा जावें.

पुराना नाम :

(विरेन्दर सिंह)
(VIRENDER SINGH)

नया नाम :

(विरेन्दर सिंह रैत)
(VIRENDER SINGH RAIT)
पता-जे-10, पंचशील नगर, नर्मदा रोड,
जबलपुर, पिनकोड 482001.

(505-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Collector Sahab Tiwari S/o Ramakant Tiwari R/o Ward No. 01, Khanna Banjari, Barhi, Katni (M.P.) change my name and shall hereafter known as Atharv Tiwari.

Old Name:

(COLLECTOR SAHAB TIWARI)

New Name :

(ATHARV TIWARI)

(506-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम पीरूलाल धाकड़ पिता श्री नाथूलालजी धाकड़ था, जिसे परिवर्तित कर मैंने अपना नाम मनन धाकड़ पिता श्री नाथूलालजी धाकड़ कर लिया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे परिवर्तित नाम से ही जाना-पहचाना जावें

पुराना नाम :

(पीरूलाल धाकड़)
(PIRULAL DHAKAD)

नया नाम :

(मनन धाकड़)
(MANAN DHAKAD)
पिता-श्री नाथूलालजी धाकड़,
पता-304, वार्ड-16, ग्राम खजूरीपंथ,
तह. शामगढ़, जिला मन्दसौर (म.प्र.) 458883.

(507-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to infrom that M/s Agrawal Construction Company, having office at, near Railway station road, Ward No. 29, Balaghat, Distt-Balaghat (M.P.), a Partnership firm incorporated on 21st May, 2009, having five Partners as Shri K.M.Agrawal, Smt. Madhu Agrawal, Shri Ashish Agrawal, Shri Ankur Agrawal, Shri Mohd. Ilyas khan. On 01-4-2012, Shri Mohd. Ilyas Khan retired as a partner from the firm. Now the four partners of the firm are Shri K.M. Agrawal, Smt. Madhu Agrawal, Shri Ashish Agrawal and Shri Ankur Agrawal. This public notice is being Published for the Purpose of registration of change in composition of the firm with the office of Registrar of firms and Society.

M/s Agrawal Construction Company,
ANKUR AGRAWAL,
(Partner).

(508-B.)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैसर्स अर्थव कन्स्ट्रक्शन, जबलपुर में दो भागीदार थे सुधीर शुक्ला, (2) विजय श्री जिसमें सुधीर शुक्ला आत्मज श्री के. वी. शुक्ला, निवासी 55 विनायक, निवास गोपालबाग, दमोह नाका, जबलपुर ने दिनांक 07-03-2013 से पृथक हो गये हैं. उनके स्थान पर सुनील मिश्रा दिनांक 07-03-2013 को नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये हैं. किसी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था आदि की कोई विधिक आपत्ति हो तो 10 दिवस की अवधि के भीतर उचित दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है, इसके पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति को निराधार माना जावेगा.

भवदीय,
मैसर्स अर्थव कन्स्ट्रक्शन,
सुनील मिश्रा,
(भागीदारी).

(509-बी.)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधिनियम के अधीन सूचना-पत्र)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बीकान, आर. वी. एस. एसोसिएट्स, रजिस्टर्ड कार्यालय ई-8/19, दूरसंचार नगर, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00139/16, उक्त फर्म की भागीदारी में (1) श्री ब्रिजेश सोनी जी. एस. सोनी, निवासी सेक्टर पी, सिसोदिया कॉलोनी, गुना मध्यप्रदेश, (2) श्री दीपक रघुवंशी आत्मज श्री आर. एस. रघुवंशी, निवासी जगदीश कॉलोनी, गुना मध्यप्रदेश, (3) श्री सन्देश भार्गव आत्मज श्री अशोक भार्गव, निवासी सी-7, प्रेमी कॉलोनी, गुना मध्यप्रदेश, (4) श्री अनिश खान आत्मज श्री रफीक खान, निवासी नियर मस्जिद चौक, चौशिपुरा, गुना मध्यप्रदेश, (5) श्री पंकज सोनी आत्मज मयंक कुमार सोनी, निवासी 20343, नियर माता मंदिर नाजूल कॉलोनी, गुना मध्यप्रदेश (6) श्रीमती अनीता सोनी पत्नी विक्रम सोनी, निवासी सेक्टर पी, सिसोदिया कॉलोनी, गुना मध्यप्रदेश, (7) श्रीमती कृष्णा सोनी पत्नी डॉ. डी. के. सोनी, निवासी-281, सिसोदिया कॉलोनी, गुना मध्यप्रदेश, भोपाल फर्म के भागीदार के रूप में दिनांक 01-10-2016 से सम्मिलित (Induct) की गयी है एवं श्री रण विजय सिंह तोमर आत्मज स्व. श्री पी. एस. तोमर, निवासी ए-156, रोहित नगर, एक्सटेंशन फेस-2, पार्ट-3, अपोसिट सागर पब्लिक स्कूल, भोपाल, फर्म की भागीदारी से दिनांक 01-10-2016 से निवृत (Petired) हो गये हैं. (1) श्री ब्रिजेश सोनी, (2) श्री दीपक रघुवंशी, (3) श्री सन्देश भार्गव, (4) श्री अनिश खान, (5) श्री पंकज सोनी, (6) श्रीमती अनिता सोनी, (7) श्रीमती कृष्णा सोनी, (8) श्री रण विजय सिंह तोमर, (9) पीताम्बर दत्त.

मैसर्स बीकान आर. बी. एस. एसोसिएट्स,
पीताम्बर दत्त,
(भागीदार)
ई-8/19, दूरसंचार नगर, गुलमोहर कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र.).

(510-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सिंग कन्स्ट्रक्शन कं. पता-राइट टाउन, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 00170/06, दिनांक 28-02-2006 को पंजीयत है उक्त फर्म में (1) श्री चन्द्रभान सिंह पिता श्री बाबूसिंह ठाकुर, (2) श्री बाबू सिंह ठाकुर पिता श्री लल्लू सिंह ठाकुर, (3) श्रीमती जानकी सिंह पति श्री चन्द्रभान सिंह, (4) जहार सिंह पिता श्री विश्राम सिंह, (5) श्री हरदेव सिंह पिता श्री महाराज सिंह पांचों पार्टनर हैं. उक्त में से भागीदार क्रमांक 2 को स्वर्गवास दिनांक 17-07-2012 को हो चुका है. फर्म में (1) श्री जाहर सिंह पिता श्री विश्राम सिंह, (2) हरदेव सिंह पिता श्री महाराज सिंह फर्म से दिनांक 12-12-2012 को पृथक् हो रहे हैं तथा दिनांक 12-12-2012 को नये पार्टनर-(1) कृष्ण प्रताप सिंह पिता श्री चन्द्रभान सिंह, (2) नीतू सिंह पिता श्री चन्द्रभान सिंह को सम्मिलित किया गया है. अतः किसी संस्था/फर्म/व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो फर्म के कार्यालय में सात दिवस के अन्दर आपत्ति कर सकते हैं.

मेसर्स सिंग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
चन्द्रभान सिंह,
(भागीदार)
हंसराज हाउस, राइट टाउन, जबलपुर.

(511-बी.)

आम सूचना

मैं, गीता सिंह पुत्री श्री माहिपालसिंह, निवासी-217, आधारशिला वेस्ट ब्लॉक, बरखेड़ा पठानी, भोपाल, पार्टनर मैसर्स रूद्राक्ष इंजीनियरिंग शेड नं. 13 एवं 14 सेक्टर आई, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00208/09 है जिसमें दिनांक 13-10-2016 द्वारा अपनी भागीदारी का 25 प्रतिशत शेयर श्री एस. एस. उप्पल पुत्र श्री ए. एस. उप्पल, निवासी-ई-4/75, अरेरा कॉलोनी, भोपाल के पक्ष में अपनी स्वेच्छा से हस्तांतरण कर रही हूँ.

मै. रूद्राक्ष इंजीनियरिंग,
गीता सिंह,
(भागीदार)
शेड नं. 13 एवं 14 सेक्टर आई,
औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा, भोपाल.

(512-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म-Styfort Inner Wear स्थित Industrial Area, Bagroda, Bhopal, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0192/16, वर्ष 2016, दिनांक 08-09-2016 जिसमें दिनांक 13-09-2016 से भागीदार श्रीमति रेखा शर्मा पत्नि श्री आर. शर्मा फर्म से अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं इसी दिनांक 13-09-2016 से श्रीमति बलविन्दर कौर पत्नि श्री बलविन्दर सिंह, निवासी एम-21, सेक्टर 9/ए, साकेत नगर, भोपाल नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-Styfort Inner Wear,
भोपिन्दर सिंह,
(भागीदार).

(513-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म-Shri Krishna Enterprises स्थित एस-8, स्मृति कॉम्पलेक्स, 159 जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0114/16, वर्ष 2016-2017 दिनांक 13-07-2016 जिसमें दिनांक 05-09-2016 से भागीदार श्री हर्ष गगरानी आत्मज श्री अशोक गगरानी फर्म से अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 05-09-2016 से श्रीमति निधि आचार्य पत्नि श्री अजय आचार्य, निवासी 694, सेक्टर 9/बी, साकेत नगर, भोपाल नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-Shri Krishna Enterprises,
अजय आचार्य,
(भागीदार).

(514-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म सुप्रीम ऑटो सेन्टर के नाम से शहर इन्दौर में स्थित निरंजनपुर देवासनाका ए. बी. रोड पर पार्टनरशिप फर्म है. जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 29/76-77, दिनांक 07-04-1976 को हुआ है, उक्त फर्म के पार्टनर शब्बीर हुसैन मलिक का देहान्त हो जाने से 19-10-2013 को नवीन संशोधन डीड बनाई गई है, उक्त डीड में शब्बीर हुसैन मलिक का नाम पार्टनरशिप फर्म से कम कर शेष पार्टनर के नाम यथावत् रखे गये हैं एवं कम्पनी का नवीनीकरण संशोधन डीड का निष्पादन 01/09/2016 को किया गया है. उक्त डीड में 19-10-2013 के अनुसार ही फर्म के कार्यकलापों का निर्वहन किया जा रहा है. जिसके संशोधन संबंधी कार्यवाही फर्म एण्ड सोसायटी में फर्म द्वारा की जा रही है, सो विदित होवें.

वास्ते-सुप्रीम ऑटो सेन्टर,
(1) बुरहानुद्दीन ताहिर मलिक,
(2) बानो बाई ताहिरअली मलिक,
(भागीदार).

(515-बी.)

PUBLIC NOTICE

NOTICE U/S 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/s. Shri Incorporation, Registered office at 280, Anoop Nagar, Indore, which was constituted vide Partnership deed executed on 25th October, 2003 and the initial partners were Ramesh Chandra Khandelwal S/o Balram Khandelwal, Anish Shah S/o Kailashchand Shah and Chirg Patel S/o Kiritbhai Patel.

In this Partnership firm subsequently following changes have occured on 1st April, 2007 Chirag Patel S/o Kiritbhai Patel R/o Patel Chamber causeway Road joravar Nagar Distt-Surendra Nagar (G.S.) voluntarily retired from the partnership firm and thus Ramesh Chandra Khandelwal S/o Balram Khandelwal and Anish Shah S/o Kailashchand Shah were the two partners.

Further on 1st October, 2011 Chandra Prakash Khandelwal S/o Ramesh Chandra Khandelwal R/o Dhar road Manawar and Pawan Khandelwal S/o Ramesh Chandra Khandelwal R/o Dhar road Manawar has joined the partnership firm as partners and Ramesh Chandra Khandelwal S/o Balram Khandelwal R/o Dhar road Manawar. Voluntarily retired from the partnership firm. Thus Chandra Prakesh Khandelwal, Pawan Khandelwal and Anish Shah were 3 Partners.

Further on 1st April, 2012 Anish Shah S/o Kailashchand Shah R/o 7 pipliapala A.B. Road, Indore Voluntarily retired from the partnership firm. Thus Chandra Prakash Khandelwal and Pawan Khandelwal were 2 Partners.

Further w.e.f. 1st September, 2016 Prashant Khandelwal S/o Ramesh Chandra Khandelwal R/o Dhar Road Manawar has joined the partnership firm as Partner and Pawan Khandelwal S/o Ramesh Chandra Khandelwal voluntarily retired from the Partnership firm and now Chandra Prakash Khandelwal and Prashant Khandelwal are the running Partners in the partnership firm and also w.e.f. 1st September, 2016 the Address of the Partnership firm was changed at House No. 464/3, ward No. 20, main road, Bakaner, Disstt.- Dhar (M.P.).

For M/s. Shri Incorporation,
CHANDRA PRAKASH KHANDELWAL,
(Partner)
H.No. 464/3, Ward No. 20, Main Road,
Bakaner, Disst.-Dhar (M.P.).

(516-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शेप इन्फ्रास्ट्रक्चर, पता-89/1, तात्या टोपे मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन, मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00020/05, दिनांक 31-08-2005 है. जिसमें दिनांक 01-04-2016 को श्री अभय कुमार सेठी पिता श्री हीरालाल जी सेठी, पता म. नं. 196, अनूप नगर, इन्दौर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. वर्तमान में इस फर्म मैसर्स शेप इन्फ्रास्ट्रक्चर में निम्नानुसार भागीदार हैं-

4. श्री योगेश मित्तल
5. श्री आनन्द गोराना
6. श्री ऋषी गोराना

Shape Infrastructure,
योगेश मित्तल,
(Partner).

(517-बी.)

आम सूचना

मैसर्स शेप इन्फ्रास्ट्रक्चर, पता-102, आकार पैलेस, फ्रीगंज, उज्जैन का नया पता-89/1, तात्या टोपे मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन हो गया है. सादर सूचनार्थ.

Shape Infrastructure,
योगेश मित्तल,
(Partner).

(517-A-बी.)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि M/s Shafeeq Ahmed Construction Company फर्म पंजीयन क्र. 122, दिनांक 02-02-2002 के चार भागीदारों Shri Shafeeq Ahmed S/o Shri Abdul Aziz, Shri Ashfaq Ahmed S/o Shri Abdul Aziz, Shri Mohammad Rais S/o Shri Raheem Khan, Shri Abdul Aziz S/o Shri Sheikh Chote Khan में से भागीदार Shri Ashfaq Ahmed S/o Shri Abdul Aziz तथा Shri Mohammad Rais S/o Shri Raheem Khan फर्म की भागीदारी से दिनांक 01-10-2013 से पृथक् हो गये हैं तथा फर्म की भागीदारी में दिनांक 01-10-2013 से Shri Adil Ahmed S/o Shri Shafeeq Ahmed एवं Smt. Noorjahan D/o Shri Anwar Ahmed सम्मलित हो गये हैं इसके अतिरिक्त यह कि फर्म के चार भागीदारों में से दिनांक 05-06-2015 को Shri Abdul Aziz S/o Sheikh Chote Khan का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनको फर्म की भागीदारी से पृथक् कर दिया गया है एवं दिनांक 06-06-2015 से उक्त फर्म में अब 3 ही भागीदार हैं, क्रमशः Shri Shafeeq Ahmed S/o Shri Abdul Aziz, Shri Adil Ahmed S/o Shri Shafeeq Ahmed एवं Smt. Noorjahan D/o Shri Anwar Ahmed इन्हीं 3 भागीदारों द्वारा वर्तमान में फर्म संचालित रहेगी तथा दिनांक 17-10-2016 से फर्म का मुख्या कार्यालय मकान नं. 03, जामुन वाली मस्जिद फतेहगढ, भोपाल मध्यप्रदेश से मकान नं. 02, मस्जिद निशात अफजा राजीव नगर, अपोजिट वॉटर टेंक नारियलखेडा, भोपाल स्थानांतरित हो गया है.

मे. शफीक अहमद कंस्ट्रक्शन कम्पनी,	मे. शफीक अहमद कंस्ट्रक्शन कम्पनी,	मे. शफीक अहमद कंस्ट्रक्शन कम्पनी,
शफीक अहमद,	**आदिल अहमद,**	**नूरजहां,**
(भागीदार).	(भागीदार).	(भागीदार).

(518-बी.)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है की फर्म श्री माँ वैष्णव कंस्ट्रक्शन कं. पंजीयन क्र. 01/01/01/00098/03, दिनांक 16-09-2003 के चार भागीदारों Alkesh Kumar (Soni) Umraode S/o Shri Parasram Umraode, Pankaj Sharma S/o Shri Kailash Chand Sharma, Jitendra Choudhary S/o Shri Premdutt Choudhary, Shri Kailash Chand Sharma S/o Late Shri B.L. Sharma में से भागीदार Shri Kailash Chand Sharma S/o Late Shri B.L. Sharma फर्म की भागीदारी से दिनांक 05-11-2016 से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 05-11-2016 से उक्त फर्म में अब 3 ही भागीदार हैं, क्रमशः Alkesh Kumar (Soni) Umraode S/o Shri Parasram Umraode, Pankaj Sharma S/o Shri Kailash Chand Sharma, Jitendra Choudhary S/o Shri Premdutt Choudhary इन्हीं 3 भागीदारों द्वारा वर्तमान में फर्म संचालित रहेगी.

श्री माँ वैष्णव कंस्ट्रक्शन कं.,	श्री माँ वैष्णव कंस्ट्रक्शन कं.,	श्री माँ वैष्णव कंस्ट्रक्शन कं.,
ALKESH KUMAR (SONI) UMRAODE	**JITENDRA CHOUDHARY**	**PANKAJ SHARMA**
(भागीदार)	(भागीदार)	(भागीदार)
एम. आई. जी. ए-44,	एम. आई. जी. ए-44,	एम. आई. जी. ए-44,
सोनगिरी, भोपाल.	सोनगिरी, भोपाल.	सोनगिरी, भोपाल.

(519-बी.)

जाहिर सूचना

मैं, मेरे पक्षकार के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार मेसर्स न्यू फेब्रीकेटर्स, भोपाल कार्यालय पता-23, एच-सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल के फर्म का पंजीयन इन्डियन पार्टनरशिप एक्ट की धारा-58 (1) के अन्तर्गत पंजीयत किया गया था, जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/0465/16, सन् 2015-16, दिनांक 04 मार्च, 2016 को हुआ था. उक्त फर्म में कुल चार पार्टनर्स थे, जो क्रमशः (1) श्रीमती दलजीत कौर विरदी पत्नि स्व. श्री हरजीत सिंह विरदी, (2) रौनक सिंह विरदी आत्मज स्व. श्री हरजीत सिंह विरदी, (3) तौफिक मो. खान आत्मज स्व. इकराम अहद खान एवं (4) अमन्दिर सिंह आत्मज स्व. श्री हरचरण सिंह विरदी थे. दिनांक 31 अगस्त, 2016 को दो पार्टनर्स स्वेच्छा से बिना किसी डर व दबाव के उक्त फर्म से (1) तौफिक मो. खान आत्मज स्व. इकराम अहद खान एवं (2) अमन्दिर सिंह आत्मज स्व. श्री हरचरण सिंह विरदी सेवा निवृत्त/अलग हो गए हैं. अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, चूंकि मेसर्स न्यू फेब्रीकेटर्स, भोपाल के उक्त दोनों पार्टनर्स उक्त फर्म से अपने आप को अलग कर लिया है अब उक्त फर्म में केवल दो ही पार्टनर्स (1) श्रीमती दलजीत कौर विरदी पत्नि स्व. श्री हरजीत सिंह विरदी, (2) रौनक सिंह विरदी आत्मज स्व. श्री हरजीत सिंह विरदी अस्तित्व में हैं. अतः उक्त दोनों पार्टनर्स के फर्म के सेवा निवृत्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति व संस्था, शासकीय व अशासकीय किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह इस विज्ञापन प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय के कार्यालयीन समय में स्वयं/एजेंट उपस्थित होकर लिखित में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें. तत्पश्चात् प्राप्त आपत्ति विचारणीय नहीं होगी. अतः सूचित हो.

भवदीय

S.K. Mallick,

(Advocate)

17/A (S-2), Kamakshi Complex,

Indrapuri P.O. Piplani, BHEL BHOPAL-22 (M.P.).

(520-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

क्र. 24871/वित्त/ए.एफ.सी./26/2016-17.—श्रमायुक्त, म. प्र. इन्दौर की अधिसूचना क्र. 6/11/अन्वे./पाँच/2016/38690-989, इंदौर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 के अनुसार शासकीय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों हेतु दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से

दिनांक 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए प्रभावशील दरें "अनुसूची (क)" के अनुसाार अधिसूचित की गई है. (उक्त अधिसूचना-न्यूनतम वेतन की दरें श्रमायुक्त श्रम विभाग इन्दौर की वेबसाईट www.labour.mp.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं.)

म. प्र. वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ट 6 के नियम 43 के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से दिनांक 31 मार्च, 2017 तक के लिये अनुसूची (क) के आधार पर निम्नानुसार दरें अधिसूचित की जाती हैं, तद्नुसार जिला होशंगाबाद के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें लागू होंगी :-

अनुसूची (क)

शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है. (आँकड़े रुपयों में) (30 दिन के मान से)

श्रमिक वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउण्डअप दैनिक दरें
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
अकुशल	6500.00	250.00	450.00	17.80	6950.00	267.30	267.00
अर्धकुशल	7057.00	271.42	750.00	28.84	7807.00	300.26	300.00
कुशल	8435.00	324.42	750.00	28.84	9185.00	353.26	353.00
उच्च कुशल	9735.00	374.42	750.00	28.84	10485.00	403.26	403.00

इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिकों के लिये अनुसूची निम्नानुसार है :-

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है.
(आँकड़े रुपयों में) (30 दिन के मान से)

श्रमिक वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउण्डअप दैनिक दरें
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
अकुशल कृषि श्रमिक	5350.00	178.33	504.00	16.80	5854.00	195.13	195.00

अविनाश लवानिया,
(830) **कलेक्टर.**

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक रिषभ कुमार जैन, पता-89, लोक नायक नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर के द्वारा श्री दिगम्बर जैन गंधर तीर्थ क्षैत्र ट्रस्ट, इन्दौर कार्यालय पता-89, लोक नायक नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वंय या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	दिगम्बर जैन, गंधर तीर्थ क्षैत्र ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय-89, लोक नायक नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5989/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार नौ सौ नवासी) है.

आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(818)

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक कार्यकारी न्यासी श्री पं. उमेश पिता स्व. शिवनारायण, पता-74, शाहीन नगर, मुसाखेड़ी, इन्दौर द्वारा श्री श्री गुरूकृपालयम विश्व पारमार्थिक ट्रस्ट, कार्यालय पता-B-102/1, ग्रेटर ब्रजेश्वरी पिपल्याहाना, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वंय या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री श्री गुरूकृपालयम विश्व पारमार्थिक ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय-B-102/1, ग्रेटर ब्रजेश्वरी पिपल्याहाना, इन्दौर, (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5000/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार मात्र) है.

आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(818-A)

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बालाघाट

रा. प्र. क्र. 01 बी-113 वर्ष 2015-16 मौजा लामता प. ह. नं. 07

बालाघाट, दिनांक 9 नवम्बर, 2016

क्र./202/प्रस्तुत्कार-1/2016 यह कि सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यासकर्ता अध्यक्ष श्री विषाल नाईक पिता स्व. सत्येंद्र नाईक निवासी वार्ड नं. 11 ढूटी रोड मु. पो. लामता तहसील व जिला बालाघाट द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951-30 की धारा 4) के अंतर्गत आवेदन अनुसूचि में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोकन न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अत: जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास की संपत्ति में हितबद्ध, कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवशान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

-अनुसूची-

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

ग्राम का नाम	प. ह. नं.	अचल संपत्ति	विवरण
ग्राम लामता	07	खं नं. 101/5	श्री विषाल नामदेव पिता श्री द्वारका प्रसाद नामदेव
		रकबा 1.80/0.728	लामता तह. व जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

आज दिनांक 07 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

कामेश्वर चौबे,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(819)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, तहसील हुजूर, जिला रीवा

प्र.क्र. 01/बी-121/2016-17. रीवा, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश पब्लिक टस्ट, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1952 का नियम-5 (1)]

पंजीयन जिला खनिज न्यास.

यह कि आवेदक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा के द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (शासकीय) के पंजीयन हेतु भेजा गया है. जिसमें कुल 09 सदस्य हैं तथा जिसका मुख्य उद्देश्य है:-

1. भारतीय संस्कृति और उसके मानवीय मूल्यों की स्थापना, सवंर्धन एवं संरक्षण योग की क्रियाओं के प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था करना एवं जैव विविधता का संरक्षण एवं देखभाल के आवश्यक उपाय एवं असहाय लोगों की व्यवस्था आदि.
2. न्यास की वैचारिक जागरूकता हेतु संस्थाओं की स्थापना, संचालन, व्यवस्था करना एवं निःशुल्क शिविरों का आयोजन की व्यवस्था करना.
3. पर्यावरण, संरक्षण जैव विविधता तथा प्रचार-प्रसार आदि के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा के द्वारा आवेदन पेश किया गया है, जिसके संबंध में सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त के संबंध में न्यास के गठन बावत मेरे न्यायालय में दिनांक 24 नवम्बर, 2016 को विचारार्थ नियत है.

जो भी व्यक्ति उक्त न्यास में किसी प्रकार का हित रखता है उसके बारे में आपत्ति करने का सुझाव रखता है उसे अधिसूचना द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के अन्दर सुझाव आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें. उक्त नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास का विवरण)

1.	चल सम्पत्ति	:	शासन (शासकीय)
2.	अचल सम्पत्ति	:	मध्यप्रदेश शासन (शासकीय)

नीलमणि अग्निहोत्री,
अनुविभागीय अधिकारी.

(820)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लश्कर, जिला ग्वालियर

प्र.क्र. 01/बी-113 (1)/2016-17. ग्वालियर, दिनांक 20 नवम्बर, 2016

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा 2 और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

आवेदक श्री नरेश कुमार जैन सोनी पुत्र स्व. श्री फूलचन्द्र जी जैन सोनी, निवासी-13, शिवराम कोले का बाड़ा, दानाओली, लश्कर, ग्वालियर के द्वारा "श्रीमती सुमनलता जैन सोनी परमार्थ न्यास" स्थित 13, शिवराम कोले का बाड़ा, दानाओली, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है, उसका गठन करता है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक

को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम व पता	:	"श्रीमती सुमनलता जैन सोनी परमार्थ न्यास" 13, शिवराम कोले का बाड़ा, दानाओली, लश्कर, ग्वालियर.
2. चल सम्पत्ति	:	1,00,000/- रुपये.
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

विजय राज,
पंजीयक.

(821)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. /बी/113-2016-17. प्रारूप-तृतीय

(नियम पाँच-1 देखिये)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत]

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष, सूर्यभान पिता रामानन्द निवासी राजेश मैरेज हॉल, खण्डवा रोड, बुरहानपुर ने "गायत्री संस्कार ट्रस्ट बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विर्निदिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. "गायत्री संस्कार ट्रस्ट बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)"		
2. चल सम्पत्ति	:	बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा अमरावती रोड, बुरहानपुर में बचत खाता क्र. 957510110005661 में 6,777/- जमा है.
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक

(831)

प्र.क्र. 10 बी/113-2015-16. प्रारूप-तृतीय

(नियम पाँच-1 देखिये)

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत]

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष, डॉ. फहीम अशरफ पिता इकबाल अहमद, निवासी 200, जहॉगीर मंजिल, मोमीनपुरा, बुरहानपुर ने "मुहम्मदी खिदमत ट्रस्ट, दाऊदपुरा, बुरहानपुर, (म.प्र.)" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विर्निदिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. "मुहम्मदी खिदमत ट्रस्ट, दाऊदपुरा, बुरहानपुर, (म.प्र.)"
2. चल सम्पत्ति : निरंक
3. अचल सम्पत्ति : निरंक

श्यामेन्द्र जायसवाल,
पंजीयक.

(831-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, जिला पन्ना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./10/1290, दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के द्वारा हरिजन मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, खपटहा, पो. विरवाही, तहसील पन्ना, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./366, दिनांक 3-1-1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 998, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा श्री आर. के. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में 04-10-2016 को प्रस्तुत किया है.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. अतः संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग (मंत्रालय) की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए मैं, दीप्ति वनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, पन्ना, जिला पन्ना, हरिजन मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, खपटहा, तहसील पन्ना का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

दीप्ति वनवासी,
सहायक पंजीयक.

(822)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया

उमरिया, दिनांक 03 नवम्बर, 2016

क्र./परि./2016/616.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/601, उमरिया, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित, सलैया (मानपुर), जिला उमरिया, जिसका पंजीयन क्रमांक 79, दिनांक 4-3-2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत तत्कालीन सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. खं. -मानपुर, को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से सन्तुष्ट होकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की

धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय/कार्पोरेट बॉडी समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 03 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. प्रजापति,

(823) सहायक पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 18 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू./2016.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्र./परि./2016/2357, उज्जैन, दिनांक 30 सितम्बर, 2016 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री राघवेन्द्र बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., लिम्बोदा	2228/11-09-2015	2357/30-09-2016
2.	सार्थक बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., असावता	2229/11-09-2015	2357/30-09-2016
3.	सर्वकुटुम्ब बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., खरसौदकलॉ	2268/07-10-2015	2357/30-09-2016
4.	बालाजी बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., रूनिजा	2269/07-10-2015	2357/30-09-2016

अत: मैं, सी. एस. आसोड़िया, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूं कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समितिकी कोई लेखा पुस्तकें, रोकड, चल-अचल सम्पत्तियां या कोई भी सामान तथा रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना-पत्र आज दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

सी. एस. आसोड़िया,

(824) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 31 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1256.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/1286, धार, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणदा, तह. धरमपुरी, जिला धार, मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 1138, दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एल. पंवार, पर्यवेक्षक

दुग्ध संघ, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/परि./2015/1016, धार दिनांक 04 जुलाई, 2015 द्वारा श्री ओ. पी. राठौर, विस्तार पर्यवेक्षक धामनोद (दुग्ध संघ) को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री ओ. पी. राठौर, विस्तार पर्यवेक्षक धामनोद (दुग्ध संघ) द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणदा, तह. धरमपुरी, जिला धार, मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(825)

धार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1498.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2015/153, धार, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंघाना, तह. मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश, जिसका पंजीयन क्रमांक 1245, दिनांक 05 जून, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संशोधित आदेश क्रमांक/परि./2015/1760 धार दिनांक 05 नवम्बर, 2015 द्वारा श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक श्री के. के. जमरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंघाना, तह. मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(825-A)

धार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1499.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2016/25, धार, दिनांक 4 जनवरी, 2016 के द्वारा श्री नर्मदा साख सहकारी संस्था मर्या., मनावर, तह. मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 1484, दिनांक 8 जनवरी, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के. के. जमरें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत श्री नर्मदा साख सहकारी संस्था मर्या., मनावर, तह. मनावर, जिला धार, मध्यप्रदेश का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(825-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 30 सितम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

श्री आर. के. कटारे, रिटर्निंग अधिकारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरेन्डा, तहसील सिरोंज ने अपने पत्र दिनांक 22 अगस्त, 2016 में लेख किया है कि संस्था सचिव द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम का विज्ञापन समाचार-पत्र में नहीं दिया एवं न ही सदस्यों को व्यक्तिगत सूचना प्रत्यक्ष या डाक द्वारा भेजी गई. जिस कारण दिनांक 17 अगस्त, 2016 को कोई नियोजन पत्र प्राप्त नहीं हुयें संस्था निर्वाचन कार्य में सचिव एवं दुग्ध संघ के किसी कर्मचारी द्वारा भी बिल्कुल रुचि नहीं ली जाती है. ऐसी स्थिति में संस्था का निर्वाचन कराना संभव नहीं है.

रिटर्निंग अधिकारी के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (क) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बरेन्डा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा का पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस. /667/22 अगस्त, 2003 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को जारी करता हूँ.

(826)

विदिशा, दिनांक 30 सितम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

श्री अनिल सक्सेना, प्रशासक एवं उप-अंकेक्षक ने अपने पत्र दिनांक निल में लेख किया है कि मेरे द्वारा सर्वहारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुगलसराय, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा के रिकॉर्ड के लिये निरंतर प्रयास किया गया परन्तु संस्था का रिकॉर्ड आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हो सका है. संस्था के अध्यक्ष श्री रूप सिंह से बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराने पर भी संस्था का कोई भी रिकॉर्ड उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका. संस्था का रिकॉर्ड प्राप्त नहीं होने के कारण संस्था का निर्वाचन प्रारंभ करना संभव नहीं है.

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है. इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (ए/क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सर्वहारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, मुगलसराय, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही. डी. एस./720, दिनांक 31 अगस्त, 2006 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र में अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को जारी करता हूँ.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(826-A)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास

देवास, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/1587.—आर. एस. बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भील गुराड़िया, पंजीयन क्रमांक 1232, दिनांक 11 जून, 2010 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49 (7-ख) के तहत् प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक नियुक्ति के पश्चात् भी संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया और न ही संस्था का चार्ज एवं रिकॉर्ड सौंपा गया है. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर. एस. बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भील गुराड़िया, पंजीयन क्रमांक 1232, दिनांक 11 जून, 2010 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में जाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंके. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(827)

देवास, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/1588.—बद्रीनाथ प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., भौरासा, पंजीयन क्रमांक 1088, दिनांक 07 अक्टूबर, 2004 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49 (7-ख) के तहत् प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक नियुक्ति के पश्चात् भी संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया और न ही संस्था का चार्ज एवं रिकॉर्ड सौंपा गया है. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बद्रीनाथ प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., भौरासा, पंजीयन क्रमांक 1088, दिनांक 07 अक्टूबर, 2004 को अधिनियम् की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में जाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एल. गोठवाले, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(827-A)

देवास, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/1589.—माँ चन्देश्वरी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 915, दिनांक 09 फरवरी, 2006 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49 (7-ख) के तहत् प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक नियुक्ति के पश्चात् भी संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया और न ही संस्था का चार्ज एवं रिकॉर्ड सौंपा गया है. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ चन्देश्वरी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 915, दिनांक 09 फरवरी, 2006 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में जाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ए. के. जैन, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(827-B)

देवास, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/1590.—प्रगति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 1029, दिनांक 16 सितम्बर, 2002 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49 (7-ख) के तहत् प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक नियुक्ति के पश्चात् भी संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया और न ही संस्था का चार्ज एवं रिकॉर्ड सौंपा गया है. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रगति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सुमराखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 1029, दिनांक 16 सितम्बर, 2002 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में जाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. सोनी, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(827-C)

देवास, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/1501.—गायत्री विस्थापित मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या चोर, पंजीयन क्रमांक 1215, दिनांक 25 अगस्त, 2009 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49 (7-ख) के तहत् प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक नियुक्ति के पश्चात् भी संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया और न ही संस्था का चार्ज एवं रिकॉर्ड सौंपा गया है. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गायत्री विस्थापित मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या चोर, पंजीयन क्रमांक 1215, दिनांक 25 अगस्त, 2009 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में जाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. के. सोनी, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(827-D)

देवास, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

क्र./परि./2016/1593.—माँ वेष्णो देवी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 1212, दिनांक 17 जुलाई, 2009 को संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण धारा-49 (7-ख) के तहत् प्रशासक नियुक्त किया गया था. प्रशासक नियुक्ति के पश्चात् भी संस्था द्वारा निर्वाचन प्रस्ताव नहीं दिया गया और न ही संस्था का चार्ज एवं रिकॉर्ड सौंपा गया है. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ वेष्णो देवी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक 1212, दिनांक 17 जुलाई, 2009 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में जाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. के. शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(827-E)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/813.—शिक्षक कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., पानसेमल, जिसका की पंजीयन क्रमांक 485, दिनांक 09 नवम्बर, 1972 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/816, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त शिक्षक कल्याण साख सहकारी संस्था मर्यादित, पानसेमल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/814.—श्री सांई बाबा साख सहकारी संस्था मर्या., खेमिया, जिसका की पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 08 फरवरी, 2000 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/815, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त श्री सांई बाबा साख सहकारी संस्था मर्या., खेमिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. तरोले, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. एस. तरोले, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-A)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/815.—संत सावंता साख सहकारी संस्था मर्या., जलगोन, जिसका की पंजीयन क्रमांक 09, दिनांक 22 मई, 2000 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/814, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त संत सावंता साख सहकारी संस्था मर्या., जलगोन को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. तरोले, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जी. एस. तरोले, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-B)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/816.—महालक्ष्मी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 24, दिनांक 27 मई, 2001 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/813, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त महालक्ष्मी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-C)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/817.—ग्रामीण डाक सेवक साख सहकारी संस्था मर्या., ठीकरी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 43, दिनांक 26 फरवरी, 2002 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/812, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त ग्रामीण डाक सेवक साख सहकारी संस्था मर्या., ठीकरी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरमार, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र सिरमार, सह. निरी. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-D)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/818.—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 87, दिनांक 25 मार्च, 2003 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/811, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी साख सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. बी. कटारे, अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-E)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/819.—जवाहरगंज प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., सेंधवा, जिसका की पंजीयन क्रमांक 787, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/810, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त जवाहरगंज प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., सेंधवा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री के. पी. दशोरे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. पी. दशोरे, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-F)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/820.—बालाजी महिला प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., राजपुर, जिसका की पंजीयन क्रमांक 75, दिनांक 29 अक्टूबर, 2002 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/808, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त बालाजी महिला प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., राजपुर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-G)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/821.—भारतीय आदर्श महिला प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 110, दिनांक 20 जून, 2003 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/807, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त भारतीय आदर्श महिला प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री एस. बी. कटारे, अंके. अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. बी. कटारे, अंके. अधिकारी एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-H)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/822.—पार्श्वनाथ म. प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 117, दिनांक 09 जुलाई, 2003 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/806, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त पार्श्वनाथ म. प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री एस. बी. कटारे, अंके. अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री एस. बी. कटारे, अंके. अधिकारी एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-I)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/823.—बालाजी महिला प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., खेमिया, जिसका की पंजीयन क्रमांक 141, दिनांक 04 सितम्बर, 2003 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/....., दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त बालाजी महिला प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., खेमिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-J)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/824.—जय बालाजी म. प्रा. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., सेंधवा, जिसका की पंजीयन क्रमांक 146, दिनांक 13 सितम्बर, 2003 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/804, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त जय बालाजी म. प्रा. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., सेंधवा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री के. सी. दशोरे, उप अंकेक्षण को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. सी. दशोरे, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-K)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/825.—श्री कृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानसेमल, जिसका की पंजीयन क्रमांक 520, दिनांक 07 दिसम्बर, 1976 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/799, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त श्री कृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानसेमल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एल. जामरे, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-L)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/826.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरी बुजूर्ग, जिसका की पंजीयन क्रमांक 190, दिनांक 12 अगस्त, 2005 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/....., दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपरी बुजूर्ग को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-M)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/827.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भमोरी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 222, दिनांक 11 सितम्बर, 2007 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/797, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भमोरी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-N)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/828.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहारा, जिसका की पंजीयन क्रमांक 223, दिनांक 11 सितम्बर, 2007 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/796, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहारा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री व्ही. के. गुप्ता, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-O)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/829.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अंजदी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 229, दिनांक 01 नवम्बर, 2007 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/793, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अंजदी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरमार, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र सिरमार, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-P)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/830.—जय जलदेव मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 1143, दिनांक 27 जून, 1997 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/790, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त जय जलदेव मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-Q)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/831.—माँ रेवा विस्थापित मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., ब्राम्हणगांव, जिसका की पंजीयन क्रमांक 233, दिनांक 24 दिसम्बर, 2007 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/790, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त माँ रेवा विस्थापित मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., ब्राम्हणगांव को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-R)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/832.—माँ नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कसरावद, जिसका की पंजीयन क्रमांक 235, दिनांक 04 दिसम्बर, 2008 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/788, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त माँ नर्मदा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., कसरावद को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री अशोक शर्मा, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक शर्मा, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-S)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/833.—जागृति म. प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., पानसेमल, जिसका की पंजीयन क्रमांक 183, दिनांक 26 अप्रैल, 2005 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/802, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त जागृति म. प्रा. उ. भण्डार सहकारी संस्था मर्या., पानसेमल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-T)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/834.—निमाड़ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मण्डवाड़ा, जिसका की पंजीयन क्रमांक 232, दिनांक 22 दिसम्बर, 2007 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/784, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त निमाड़ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मण्डवाड़ा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पवन अग्रवाल, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-U)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/835.—गुरूओम जिला परिवहन सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 197, दिनांक 06 फरवरी, 2006 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/781, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त गुरूओम जिला परिवहन सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती प्रभा बघेल, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-V)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/836.—माँ बीजासनी जिला परिवहन सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 198, दिनांक 10 फरवरी, 2006 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/780, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त माँ बीजासनी जिला परिवहन सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती प्रभा बघेल, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-W)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/837.—माँ विजयश्री ऑफसेट एवं प्रिटिंग सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 94, दिनांक 16 अप्रैल, 2003 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/....., दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त माँ विजयश्री ऑफसेट एवं प्रिटिंग सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती प्रभा बघेल, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-X)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/838.—माँ अनुसुईया म. मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., बलवाड़ी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 184, दिनांक 20 मई, 2005 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/778, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयन की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त माँ अनुसुईया म. मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., बलवाड़ी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री के. पी. दशोरे, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. पी. दशोरे, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-Y)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/839.—माँ नर्मदा श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., अंजड़, जिसका की पंजीयन क्रमांक 265, दिनांक 11 मार्च, 2010 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/777, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त माँ नर्मदा श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., अंजड़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्रीमती प्रभा बघेल, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(828-Z)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/840.—पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., भड़गोन, जिसका की पंजीयन क्रमांक 205, दिनांक 18 नवम्बर, 1965 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/205, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., भड़गोन को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/841.—पं. निमाड़ काम कारीगर सहकारी संस्था मर्या., जुलवानिया, जिसका की पंजीयन क्रमांक 403, दिनांक 25 फरवरी, 1970 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/774, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त पं. निमाड़ काम कारीगर सहकारी संस्था मर्या., जुलवानिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री पवन अग्रवाल, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पवन अग्रवाल, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-A)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/842.—महालक्ष्मी कुम्भकार सहकारी संस्था मर्या., पलसूद, जिसका की पंजीयन क्रमांक 216, दिनांक 09 जनवरी, 1991 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/773, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त महालक्ष्मी कुम्भकार सहकारी संस्था मर्या., पलसूद को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री जे. एम. रावत, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एम. रावत, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-B)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/843.—श्री कृष्ण खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., जरवाह, जिसका की पंजीयन क्रमांक 984, दिनांक 2 मई, 2005 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/772, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त श्री कृष्ण खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., जरवाह को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक शर्मा, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-C)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/844.—माताजी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., पानसेमल, जिसका की पंजीयन क्रमांक 219, दिनांक 09 जुलाई, 2007 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/....., दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त माताजी ईंधन सहकारी संस्था मर्या., पानसेमल को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. जामरे, व. सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री बी. एल. जामरे, व. सह. निरी. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-D)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/845.—ओम ईंधन सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 220, दिनांक 8 अगस्त, 2007 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/770, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त ओम ईंधन सहकारी संस्था मर्या., बड़वानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री जे. एम. चौहान, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एम. चौहान, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-E)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/846.—महालक्ष्मी ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., तलवाड़ा बुजुर्ग, जिसका की पंजीयन क्रमांक 73, दिनांक 25 अक्टूबर, 2002 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/769, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त महालक्ष्मी ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., तलवाड़ा बुजुर्ग को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री जे. एम. चौहान, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एम. चौहान, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-F)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/847.—ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., मेणीमामा, जिसका की पंजीयन क्रमांक 91, दिनांक 28 मार्च, 2003 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/768, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., मेणीमामा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री जे. एम. चौहान, व. स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एम. चौहान, व. स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-G)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/848.—ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., पिपरखेड़ा, जिसका की पंजीयन क्रमांक 97, दिनांक 19 मई, 2003 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/....., दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., पिपरखेड़ा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री जे. एम. रावत, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एम. रावत, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-H)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/849.—ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सावरियापानी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 124, दिनांक 22 जुलाई, 2003 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/764, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सावरियापानी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री अशोक कांग, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक कांग, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-I)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/850.—ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., होलगांव, जिसका की पंजीयन क्रमांक 130, दिनांक 01 अगस्त, 2003 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/763, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., होलगांव को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री अशोक कांग, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक कांग, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-J)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/851.—आदर्श ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बकवाड़ी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 158, दिनांक 22 जनवरी, 2005 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/762, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त आदर्श ग्रामीण महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., बकवाड़ी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री जे. एम. रावत, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री जे. एम. रावत, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-K)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/852.—बिरसा मुण्डा ग्रा. म. बहु. सहकारी संस्था मर्या., बोम्या, जिसका की पंजीयन क्रमांक 174, दिनांक 27 जुलाई, 2004 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/761, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त बिरसा मुण्डा ग्रा. म. बहु. सहकारी संस्था मर्या., बोम्या को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री अशोक कांग, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक कांग, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-L)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/853.—चेतना महिला ग्रा. बहु. सहकारी संस्था मर्या., सिहड़ी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 243, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/760, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त चेतना महिला ग्रा. बहु. सहकारी संस्था मर्या., सिहड़ी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री अशोक कांग, स. नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री अशोक कांग, स. नि. एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

(829-M)

बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/854.—आदर्श महिला ग्रा. बहु. सहकारी संस्था मर्या., बोबलवाड़ी, जिसका की पंजीयन क्रमांक 159, दिनांक 22 अक्टूबर, 2003 को परिसमापन में क्यों न लाया जावे, इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2016/759, दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 को दिया गया था तथा इसका जवाब देने के लिये 30 दिवस की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एस. रघुवंशी, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ए/5-1-99-पन्द्रह-1डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त आदर्श महिला ग्रा. बहु. सहकारी संस्था मर्या., बोबलवाड़ी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-71(1) के अन्तर्गत श्री के. पी. दशोरे, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. पी. दशोरे, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें.

के. एस. रघुवंशी,
सहायक पंजीयक.

(829-N)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत् मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., देवरी जिला जबलपुर	1809	2167/28-08-2015
2.	कृषक कल्याण बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., महाराजपुर	2105	4180/30-12-2016
3.	भोलेशंकर बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बेलखाडू, पनागर	2106	4182/30-12-2015
4.	किसान सेवा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., डीहाग्राम, सूखा	2109	4181/30-12-2016
5.	मां नर्मदा बीज उत्पा. सहकारी समिति. मर्या. उर्दुवाकला, पनागर	2061	4166/23-12-2016
6.	जय किसान बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., सिंगौद, पनागर	2063	4167/23-12-2015
7.	जय अम्बे बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मोहनिया पनागर	2062	4168/23-12-2015
8.	मां बगलामुखी बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कालाडूमर	2091	4169/23-12-2015
9.	ओम बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मोहनिया, पनागर	2064	4170/23-12-2015
10.	श्री सांई बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., कचनारी	2092	4165/23-12-2015
11.	कबीर बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., उमरियापाटन	2055	2951/3-12-2015
12.	लक्ष्मी बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., निभौरा	2090	2950/3-12-2015
13.	सत्य साईं बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., झुरझुर	2052	2956/3-12-2015
14.	श्री गणेश बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गनियारीखुर्द	2060	2954/3-12-2015
15.	मां रेवा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., उमरियाचौबे	2051	2953/3-12-2015
16.	मां नर्मदा बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गुनवानी	2045	2952/3-12-2015
17.	तरुण शक्ति चर्म सहकारी समिति मर्या., पनागर	684	965/31-03-2016
18.	महाशक्ति आदि. महिला सहकारी समिति मर्या., महगवां	1913	964/31-03-2016
19.	लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खैरी	1901	958/31-03-2016
20.	जबलपुर जिला सह. मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1603	957/31-03-2016

अत: मैं, नितिन मेहरा, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता/करती हूं कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

नितिन मेहरा,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(812)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर के आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत् मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., फनवानी	2100	2458/03-10-2015
2.	बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घुघरीकला	2111	2465/03-10-2015
3.	किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगवां	2104	2464/03-10-2015
4.	आनंद बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कचनारी	2098	2485/07-10-2015
5.	शील बीज उत्पा. सहकारी समिति. मर्या. खागामउ	2095	2486/07-10-2015
6.	नवीन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गिदुरहा	1932	351/11-02-2016
7.	हीरा बीज, बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घुघरी सिहोरा	2110	350/11-02-2016
8.	आदर्श किसान बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., मरहाटोला	2006	352/11-02-2016
9.	शिरडीनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	217	1936/29-07-2016
10.	शहीदभगतसिंह गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	205	1663/06-07-2016
11.	लालीलिलि गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	214	1772/25-07-2016
12.	न्यायिक अधि. गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	210	1771/25-07-2016
13.	भूमि विकास बैंक कर्म. साख सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	658	1941/29-07-2016
14.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अमखेरा रोड	1873	1664/06-07-2016
15.	बैंक कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1039	1930/29-07-2016

अत: मैं, पुनीत तिवारी, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर मध्यप्रदेश, सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता/करती हूं कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

पुनीत तिवारी,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(813)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को जानकारी के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, के

आदेश द्वारा निम्न सहकारी समितियों जिनके आगे पंजीयन क्रमांक व आदेश क्रमांक, दिनांक दर्शाया गया है जो मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई गई हैं तथा 70 (1) के तहत् मुझे उनका परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक	संस्था को परिसमापन में लाये जाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	विकास बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुरूजी	2069	2461/03-10-2015
2.	नवदुर्गा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुड़ावल	2075	2463/03-10-2015
3.	श्री राधाकृष्ण बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धनगवां	2072	2462/03-10-2015
4.	हलधर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिन्नी	2068	2460/03-10-2015
5.	उन्नति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भीटाकला	2070	2459/03-10-2015
6.	इन्द्रप्रस्थ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंजई	2040	2457/03-10-2015
7.	जय दुर्गे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जुझारी मझौली	2071	31/04-01-2016
8.	प्रगति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वनखेड़ी	2073	32/04-01-2016
9.	ओमशंकर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तलाड़	2053	349/11-02-2016
10.	विष्णू वराह बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमगवां	2074	2165/28-08-2015
11.	दि विकास गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	171	2064/12-08-2015
12.	एकता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., गोहलपुर जबलपुर	1606	968/31-03-2016
13.	बीड़ी कामगार गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर	1855	969/31-03-2016
14.	हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., लमकना	790	967/31-03-2016
15.	गांधीग्राम प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., जबलपुर	9098	970/31-03-2016
16.	म.प्र.वि.मं.कर्म. साख सह. समिति मर्या., मझौली	647	971/31-03-2016
17.	चर्म सहकारी समिति मर्या., छीतापाल	1498	1145/22-04-2016

अत: मैं, योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित करता/करती हूं कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 2 (दो) माह के भीतर अपने दावे एवं स्वत्व प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जबलपुर में प्रस्तुत करें.

उक्त अवधि में प्राप्त न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी चार्ज में जो भी रिकर्ड उपलब्ध है उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों के सदस्य या भूतपूर्व अधिकारियों के पास इस समिति के संबंध में कोई लेखा पुस्तकें, रिकार्ड, रोकड़ एवं अन्य सामान हो, तो इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर मेरे कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति के पास समितियों की उपरोक्त चार्ज या रिकार्ड होने की जानकारी मिली या सिद्ध हुआ तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

योगेश दुबे,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(814)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2016-अग्रहायण 11, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

निरंक

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016